| विदेशी मुद्रा विभाग | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **विनियामकीय अनुमोदन का विवरण** | **अपेक्षित समयावधि** |
| 1. | ए) अनुमोदन मार्ग के तहत भारत में नए संपर्क कार्यालय (एलओ)/ शाखा कार्यालय (बीओ) स्थापित करने के लिए अनुमति | भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन |
| | बी) भारत में अतिरिक्त संपर्क कार्यालय (एलओ)/ शाखा कार्यालय (बीओ) की स्थापना हेतु अनुमोदन | भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन |
| | सी) चीन, हांगकांग, मकाऊ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और ईरान की संस्थाओं द्वारा संपर्क कार्यालय (एलओ)/ शाखा कार्यालय (बीओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) खोलने के लिए अनुमति | भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन |
| | डी) भारत में ऐसा परियोजना कार्यालय (पीओ) स्थापित करने की अनुमति जिसके लिए भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता हो। | भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन |
| 2. | भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने हेतु अनुमति | 60 दिन |
| 3. | भारत के बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलना | 60 दिन |
| 4. | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अनिवासी साधारण खाता (एनआरओ) खोलना | सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात 10 दिन |
| 5. | भारत के बाहर विदेशी मुद्रा खाते में वेतन प्राप्त करना | 90 दिन |
| 6. | अचल संपत्ति के हस्तांतरण/अधिग्रहण संबंधी ऐसे मामले, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अंतर्गत सामान्य अनुमति में कवर नहीं होते हैं, के लिए अनुमोदन। | सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात 10 दिन |
| 7. | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/ विनियमों के अनुसार सामान्य अनुमति के अंतर्गत शामिल न होने वाली अचल संपत्ति के अधिग्रहण/हस्तांतरण की अनुमति | यदि अचल संपत्ति के ऐसे अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक न हो, तो सम्पूर्ण दस्तावेज़/ सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन |
| 8. | अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन से संबंधित विविध बाह्य भुगतानों के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करना | 30 कार्य दिवस |
| 9. | नए श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी को लाइसेंस जारी करना और उसका नवीनीकरण | 30 दिन |
| 10. | नए श्रेणी-II प्राधिकृत व्यापारी को लाइसेंस जारी करना | 90 दिन |
| 11. | नए श्रेणी-III प्राधिकृत व्यापारी को लाइसेंस जारी करना और उसका नवीनीकरण | 30 दिन |
| 12. | धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत कारोबार करने हेतु नया लाइसेंस जारी करना | 45 दिन |
| 13. | रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) योजना के तहत कारोबार हेतु प्रथम अनुमति प्रदान करना | 30 दिन |
| 14. | बीमा कंपनियों से विदेशों में बीमा पॉलिसी लेने हेतु अनुमति | 7 दिन |
| 15. | मुद्रा परिवर्तक को लाइसेंस जारी करना/ उसका नवीनीकरण | 40 कार्य दिवस |

**पाद टिप्पणी:**

- ऐसी आशा है कि ज्यादातर मामलों में विभिन्न विभागों (I से IX) के विनियामकीय अनुमोदन के लिए उपर्युक्त सभी अनुमानित समय-सीमाओं का पालन किया जाएगा, परंतु कुछ मामलों में इससे अधिक समय भी लग सकता है।
- यदि विभागों को ऐसा लगता है कि उन्हें निर्धारित अवधि से अधिक समय लगेगा तो वे आवेदक को इसकी सूचना देंगे।
- यदि किसी आवेदक को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह संबंधित विभाग के प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं। विभाग प्रमुख उन्हें आवेदन की स्थिति, देरी का कारण, अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, के लिए अनुरोध, के साथ-साथ आवेदन के निपटान में लगने वाले संभावित अवधि बताते हुए उत्तर देंगे।
- कतिपय स्थितियों में, प्रक्रिया में अथवा हालात में आए बदलाव के कारण कार्रवाई में लगने वाला समय बदल जाता है। ऐसे मामलों में, अनुमोदन की समय-सीमा में यथोचित संशोधन किया जाएगा।
- उपर्युक्त सभी विभागों (I से IX) के लिए कॉलम 3 में दी गई समय-सीमा का पालन किया जाएगा, बशर्ते संबंधित बैंकों/संस्थाओं से पूर्ण सूचना/ दस्तावेज प्राप्त हो जाएँ और साथ ही अन्य विनियामकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों/विभागों से विनियामक/पर्यवेक्षी इनपुट /समुचित सावधानी रिपोर्टें/अनुमोदन प्राप्त हो जाएँ।
- उक्त VI. विदेशी मुद्रा विभाग में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों पर लागू नहीं होती जिन्हें अधिकार प्राप्त समिति को संदर्भित किया गया है।